राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 66/2017

लीलाधर पुत्र दुर्गाराम उम्र 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......वादी

ब–ना–म

1. भागूराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 80 वर्ष
2. विकास कुमार पुत्र महेश उम्र 32 वर्ष
3. अभिलेख पुत्र महेश उम्र 25 वर्ष
4. सुनिता पुत्री महेश उम्र 33 वर्ष
5. विनिता पुत्री महेश उम्र 30 वर्ष
6. प्रिया पुत्री महेश उम्र 28 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. भूमि धारक, राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

::निर्णय:: **दिनांक 22–10–2021**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 ग्राम मानोता जाटान तहसील खेतड़ी के निवासी है जो एक ही परिवार के है जो स्व. दुर्गाराम उर्फ दुरगला वल्द चन्द्रा के वारिशान है। वादी का पिता दुर्गाराम उर्फ दुरगला पुत्र चन्द्रा वाके ग्राम मानोता स्थित भूमि गत ख.नं. 125 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा में मिसल बन्दोबस्त संवत् 1998 में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर पहले वादी व प्रतिवादी सं. 1 का पिता व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 का दादा दुर्गाराम उर्फ दुरगला काबिज काश्त थे। वादी के पिता दुर्गाराम उर्फ दुरगला की मृत्यु सन् 1958 में हो गई तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिशान वादी व प्रतिवादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 का पिता महेश काबिज काश्त हो गये। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 दुर्गाराम उर्फ दुरगला के पुत्र है तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 दुर्गाराम उर्फ दुरगला के पौत्र है जो महेश के वारिश है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है जो वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को दुर्गाराम उर्फ दुरगला से विरासतन में प्राप्त हुई है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासतन नामांतकरण वादी के भाई भागू व महेश के नाम से ही दर्ज हुआ वादी का नाम इंतकाल में दर्ज नहीं हुआ। जबकि कानूनी रूप से वादी को भी खातेदार दर्ज रिकार्ड करना चाहिए था। उक्त भूमि गत ख.नं. 125 रक[illegible] 16 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 279 रकबा 2.02 है. बने है जो हा[illegible] 2072 में खाता सं. 83 में भागू पिता महेश, बिमला पत्नी महेश हिस्सा 1/2 [illegible] नाम से दर्ज रिकार्ड [illegible]श की मृत्यु सन् 2004 में हो गई तथा बिमला पत्नी महेश की भी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार वादी की पैतृक भूमि में वादी का नाम दर्ज नहीं होने से वादी की भारी जकतलफी है। वादी उक्त भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करवाकर अपने को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.05 16:01:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

करवाने का अधिकारी है। इसलिए वादी को यह वाद घोषाणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मानोता जाटान तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 के खाता सं. 83 के खसरा नंबर 279 रकबा 2.02 है. में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 का 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर सहमति दी है।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2069--2072 खाता सं. 83 ग्राम मानोता जाटान, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी बन्दोबस्त संवत् 1998, जमाबंदी संवत् 2012, संवत् 2013, संवत् 2017 पेश किये तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 6 ने आपसी सहमति राजीनामा भी पेश किया।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प मानोता जाटान में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आपसी सहमति के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम मानोता जाटान स्थित भूमि खाता सं. 83 खसरा नंबर 279 रकबा 2.02 है. भूमि में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 को 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प मानोता जाटान में दिनांक 22–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.05 16:01:33 IST
Reason: SelfAttested